छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं
रोजगार विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर
:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 10/11/17

क्रमांक एफ 9–49/2017/तक.शि./42 ''छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008'' के तहत माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री व्ही. के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित फीस विनियामक समिति द्वारा अपने बैठक दिनांक 06.09.2017 को पारित संकल्प द्वारा निजी फार्मेसी महाविद्यालयों में संचालित एम. फार्मेसी, बी. फार्मेसी एवं डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु संलग्न परिशिष्ट– ए (एम.फॉर्मेसी पाठ्यक्रम, सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20), परिशिष्ट– बी (एम. फॉर्मेसी पाठ्यक्रम, सत्र 2015–16, 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19), परिशिष्ट– सी (बी.फॉर्मेसी पाठ्यक्रम, सत्र 2017–18, 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21), परिशिष्ट– डी (डिप्लोमा फॉर्मेसी, सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20) एवं परिशिष्ट– ई (डिप्लोमा फॉर्मेसी, सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20) के अनुसार अंतिम शुल्क का निर्धारण कर दिया गया है । यह निर्धारित शुल्क शासन द्वारा स्वीकार किया जाता है तथा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है । यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक कि समिति द्वारा कोई अन्य शुल्क निर्धारित/पुनरीक्षित नहीं कर दिया जाता है। एम. फार्मेसी एवं बी. फार्मेसी के लिए शुल्क, प्रति सेमेस्टर निर्धारित/पुनरीक्षित किया गया है जबकि डिप्लोमा फार्मेसी के लिए शुल्क प्रति वर्ष निर्धारित/पुनरीक्षित किया गया है एवं पूरे पाठ्यक्रम की अवधि के लिए यही शुल्क लागू रहेगा।

इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते है :–

1. संस्थाओं की यह शुल्क प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों के लिये संबंधित सत्र के लिए एवं लेटरल एंट्री के तहत द्वितीय वर्ष में प्रवेशित छात्रों के लिये उसके तत्काल पश्चात आने वाले सत्र के लिए लागू होगी। तथा पूरे पाठ्यक्रम की अवधि के लिये एक समान यही शुल्क लागू रहेगा।
2. परिशिष्ट ए, बी, सी, डी एवं ई में अंकित अंतिम शुल्क में षिक्षण शुल्क के अतिरिक्त विकास शुल्क एवं अन्य विविध शुल्क शामिल है।
3. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालयीन शुल्क एवं शासन द्वारा निर्धारित काउंसिलिंग शुल्क पृथक से लिया जा सकता है जिसे विश्वविद्यालय में नियमानुसार जमा किया जाना है ।
4. कॉशन मनी रु. 1500/– केवल एक बार (संस्था में प्रथम बार प्रवेश के समय) देय है जो संस्था छोड़ने पर वापसी योग्य है।
5. संस्थाओं की अन्य ऐच्छिक सुविधाओं जैसे मेस, बस, छात्रावास आदि के लिये वास्तविक व्यय एवं ''न लाभ न हानि'' के आधार पर शुल्क ली जा सकती है।
6. ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट शुल्क तृतीय/चतुर्थ वर्ष में ही ''न लाभ न हानि'' के आधार पर लिया जा सकता है। यह शुल्क उसी छात्र से लिया जाना है जो कैम्पस प्लेसमेंट में शामिल होने का इच्छुक है एवं उसी सत्र में लिया जा सकता है जिस सत्र में कैम्पस प्लेसमेंट/इंटरव्यू का आयोजन किया गया हो।
7. एम.फॉर्मेसी एवं बी.फॉर्मेसी पाठ्यक्रम के विद्यार्थी यदि द्वितीय या उच्च सेमेस्टर प्रारंभ होने के 15 दिन तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करने पर संस्था द्वारा छात्र से अधिकतम रु. 25/– प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क लिया जा सकता है। किसी सेमेस्टर/वर्ष में प्रवेष हेतु शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सेमेस्टर के प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व निर्धारित नहीं की जा सकती। विलंब शुल्क द्वितीय वर्ष/उच्चतर सेमेस्टर में ही देय है।
8. डी.फॉर्मेसी पाठ्यक्रम के विद्यार्थी यदि द्वितीय वर्ष प्रारंभ होने के 15 दिन तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करने पर संस्था द्वारा छात्र से अधिकतम रु. 15/– प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क लिया जा सकता है। किसी वर्ष में प्रवेष हेतु शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित वर्ष के प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व निर्धारित नहीं की जा सकती। विलंब शुल्क द्वितीय वर्ष में ही देय है।
9. अनुपस्थिति के लिए नियमों में प्रावधान न होने पर, संस्था छात्र से अर्थदंड/फाईन नहीं ले सकती है। कक्षाओं से अनुपस्थिति के लिये फाइन अथवा अर्थदंड लेने हेतु संस्था अधिकृत नहीं है। कक्षाओं से अनुपस्थिति के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रावधानों/निर्देशों के आधार पर ही कार्यवाही की जावेगी ।